



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01022026-269738
CG-DL-E-01022026-269738

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 424]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 30, 2026/माघ 10, 1947

No. 424]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 30, 2026/MAGHA 10, 1947

विद्युत मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 29 जनवरी, 2026

का.आ. 452(अ).— जबकि मेसर्स पावरग्रिड भड़ला बीकानेर ट्रांसमिशन लिमिटेड, आवेदक ने जिसका रजिस्टर्ड ऑफिस बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली, भारत – 110 016 पर स्थित है, ने ट्रांसमिशन स्कीम, “भड़ला-III और बीकानेर-III कॉम्प्लेक्स के इंटरकनेक्शन के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम सुदृढीकरण” में शामिल ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं 35-17/87/2024-PG दिनांकित 04.09.2025 के अंतर्गत ट्रांसमिशन स्कीम, “भड़ला-III और बीकानेर-III कॉम्प्लेक्स के इंटरकनेक्शन के लिए ट्रांसमिशन सिस्टम सुदृढीकरण” में शामिल ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68(1) के अंतर्गत पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

मेसर्स पावरग्रिड भड़ला बीकानेर ट्रांसमिशन लिमिटेड ने प्रस्तावित ट्रांसमिशन मार्ग के बारे में स्थानीय अखबारों, द टाइम्स ऑफ़ इण्डिया (अंग्रेजी में) दिनांक 04.02.2025 और शुद्धिपत्र दिनांक 22.03.2025, राजस्थान पत्रिका

(हिन्दी में) दिनांक 04.02.2025 और शुद्धिपत्र दिनांक 22.03.2025, तथा भारत के साप्ताहिक राजपत्र दिनांक 19.04.2025 में प्रकाशन की तारीख से दो महीनों के भीतर आम जनता से अवलोकन/ अभ्यावेदन की मांग करते हुए नोटिस प्रकाशित किया था। इसके पश्चात, मेसर्स पावरग्रिड भड़ला बीकानेर ट्रांसमिशन लिमिटेड, ने दिनांकित 26.06.2025 को एक हलफनामा प्रस्तुत किया, जिसमें घोषणा की गई थी कि भारत के शासकीय राजपत्र में सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन के दो महीनों के भीतर जनता से तीन अवलोकन/ अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था और मेसर्स पावरग्रिड भड़ला बीकानेर ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा उसका उत्तर दिया गया है और आगे कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ।

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत पावरग्रिड भड़ला बीकानेर ट्रांसमिशन लिमिटेड के लिए ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए उन्हें वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो टेलीग्राफ लाइन्स के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइन्स और खंभों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है। इस स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित ओवरहेड लाइन शामिल हैं:

- 765 केवी डी/सी भड़ला-III – बीकानेर-III ट्रांसमिशन लाइन।

इस योजना के अंतर्गत ओवरहेड पारेषण लाइन राज्य के निम्नांकित गाँवों, कस्बों और शहरों से होकर, उन पर से, उनके आसपास से और बीच से होकर गुज़रेगी।

गाँवों	तहसील	जिला	राज्य
लाखासर, पाबूसर, गोगरीवाला, पाबूसर सिंधुका, राणासर, बीथनोख, बांगरसर, 4 जीडब्ल्यूएम 'ए', 1 जीडब्ल्यूएम, 2 एमटीआरएम, 4 बीजेएम, 2 बीजेएम, 1 बीजेएम, 2 जीडब्ल्यूएम 'ए', 2 सीडब्ल्यूबी (ए), 2 सीडब्ल्यूबी, 3 एमटीआरएम, 1 एमटीआरएम, 8-9 बीजेएम, 1 बीएसएम, 2 बीएसएम, बिकमपुर, 1 आरजेएम, डबली, सुरजारा, अंगनेउ, अंगनाओ, बुर्ज चोबदारन, रणधीसर, कवनी, बज्जू तेजपुरा, बज्जू खालसा, मिथरिया, पाबूसर पश्चिम	कोलायत	बीकानेर	राजस्थान
अमरपुरा, भानीपुरा, बांदेवाला, दीनसर, बराला, करणीसर भाटियान, बरजू	पूगल	बीकानेर	राजस्थान
सरदारपुरा, केलन	छत्तरगढ़	बीकानेर	राजस्थान
बज्जू, अंगनाओ, सुरजारा, डबली, बांगरसर, पनवारवाला, बज्जू तेजपुर, बज्जू खालसा, मिथरिया, गोगरियावाला	बज्जू	बीकानेर	राजस्थान
कवनी, मेहरासर	बीकानेर	बीकानेर	राजस्थान
बोराना, नौख	पोकरण	जैसलमेर	राजस्थान

अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत मेसर्स पावरग्रिड भड़ला बीकानेर ट्रांसमिशन लिमिटेड को उपरोक्त ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को

लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो टेलीग्राफ के उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंभों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है

- i. यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।
- ii. आवेदक को प्रस्तावित लाइनों की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकारियों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।
- iii. आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए पारेषण, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।
- iv. आवेदक केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइनों का प्रचालन करेगा।
- v. यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्वधीन है।
- vi. मेसर्स पावरग्रिड भड़ला बीकानेर ट्रांसमिशन लिमिटेड को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।
- vii. यदि, उपरोक्त ओवरहेड लाइनों का मार्ग (या उपरोक्त ओवरहेड लाइन के मार्ग का कुछ भाग) संशोधित ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) क्षेत्र में आता है, तो आवेदक को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के रिट याचिका (सिविल) संख्या 838/2019 के दिनांक 19.12.2025 के आदेश और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारियों द्वारा दिए गए किसी भी अन्य निर्देश का पालन करना होगा।

[फा. सं. 25-16/1/2026-पावर ग्रिड(एमओपी)]

एम.वी.एन. वराप्रसाद, अवर सचिव (पीजी)

MINISTRY OF POWER

ORDER

New Delhi, the 29th January, 2026

S.O. 452(E).—Whereas M/s POWERGRID Bhadla Bikaner Transmission Limited, the applicant with its registered office at B-9, Qutub Institutional Area, Katwaria Sarai, New Delhi, India – 110 016, has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line included in the transmission scheme, “Transmission system Strengthening for Interconnections of Bhadla-III and Bikaner-III Complex”.

And whereas, Ministry of Power, Government of India vide its letter No. 35-17/87/2024-PG dated 04.09.2024 had granted prior approval under section 68(1) of the Electricity Act, 2003 for laying of overhead transmission line included in the transmission scheme, “Transmission system Strengthening for Interconnections of Bhadla-III and Bikaner-III Complex”

M/s POWERGRID Bhadla Bikaner Transmission Limited had published notice for transmission scheme in local newspapers The Times of India (in English) dated 04.02.2025 and Corrigendum dated 22.03.2025, Rajasthan Patrika (in Hindi) dated 04.02.2025 and corrigendum dated 22.03.2025, and in Weekly Gazette of India dated 19.04.2025 for the general public to make observations/representations on the proposed transmission route within two months from the date of publication. Subsequently, M/s POWERGRID Bhadla Bikaner Transmission Limited has submitted an affidavit dated 26.06.2025 declaring that three observation/ representation was received within two months from the date of Publication in the official Gazette of Government of India and the same have been answered by M/s POWERGRID Bhadla Bikaner Transmission Limited and that no further representations were received.

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of overhead transmission line for M/s POWERGRID Bhadla Bikaner Transmission Limited. The following overhead transmission line is covered under this scheme:

1. 765 kV D/C Bhadla-III – Bikaner-III Transmission Line.

The overhead transmission line covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities:

Villages	Tehsil	District	State
Lakhasar, Pabusar, Gogriwala, Pabusar Sinduka, Ranasar, Bithnok, Bangarsar, 4 GWM'A', 1 GWM, 2 MTRA, 4 BJM, 2 BJM, 1 BJM, 2 GWM'A', 2 CWB(A), 2 CWB, 3 MTRM, 1 MTRM, 8-9 BJM, 1 BSM, 2 BSM, Bikampur, 1 RJM, Dabli, Surjara, Angneu, Angnao, Burj Chobdaran, Randheesar, Kawni, Bajju Tejpura, Bajju Khalsa, Mithriya, Pabusar West	Kolayat	Bikaner	Rajasthan
Amarpura, Bhanipura, Bandrewala, Deensar, Barala, Karnisar Bhatiyar, Barjoo	Pugal	Bikaner	Rajasthan
Sardarpura, Kelan	Chhattargarh	Bikaner	Rajasthan
Bajju, Angnao, Surjara, Dabli, Bangarsar, Panwarwala, Bajju Tejpura, Bajju Khalsa, Mithriya, Gogariyawala	Bajju	Bikaner	Rajasthan
Kawni, Mehrasar	Bikaner	Bikaner	Rajasthan
Borana, Naukh	Pokaran	Jaisalmer	Rajasthan

Now, after careful consideration, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s POWERGRID Bhadla Bikaner Transmission Limited for laying above overhead transmission line, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned line, namely:

- i. The approval is granted for 25 years.
- ii. The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities, i.e., local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed line.
- iii. The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under the Electricity Act, 2003.
- iv. The Applicant shall operate the line after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government.
- v. The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.
- vi. M/s POWERGRID Bhadla Bikaner Transmission Limited shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defense etc., at the time of Electrical Inspection.
- vii. In case, the route of above overhead lines (or some portion of the route of above overhead line) falls in the Revised Great Indian Bustard (GIB) area, the applicant has to comply with the directions of Hon'ble Supreme Court of India in its order dated 19.12.2025 in Writ Petition (Civil) No. 838 of 2019 and any other directions given by competent authorities in pursuance of the above order by Hon'ble Supreme Court

[F. No. 25-16/1/2026-POWER GRID(MoP)]
M.V.N. VARA PRASAD, Under Secy. (PG)